न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री कैलाशचन्द मीना RAS

प्रकरण संख्याः— 45/2011 दायर दिनांक :— 08.02.2011

1. नवलसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह— लसाडिया।
2. मोहब्बतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह— लसाडिया।
3. लक्ष्मणसिंह दत्तक पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह—लसाडिया।

—:वादीगण

—: बनाम :—

1. अशोक पिता केसरीमल प्रजापत निवासी दाताभैरूजी कुम्हारवाडा, उदयपुर।
2. किशनलाल पुत्र अम्बालाल सुथार निवासी दाताभैरूजी कुम्हारवाडा, उदयपुर।
3. मेहताबसिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत निवासी पाटीया तह— वल्लभनगर
4. तहसीलदार लसाडिया।

—:प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत आर.टी.एक्ट 1955, धारा 188

निर्णय दिनांक :—03.02.2017

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.) न्यायालय
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शोभजी का गुडा, तहसील लसाडिया ख.न. 197 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 234 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, ख.न. 330 रकबा 01 बिस्वा, ख.न. 335 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा, ख.न. 386 रकबा 03 बिस्वा, ख.न. 181 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख.न. 182 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 183 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 184 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 185 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख.न. 328 रकबा 02 बिस्वा, ख.न. 329 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 333 रकबा 01 बिस्वा, ख.न. 334 रकबा 06 बिस्वा, ख.न. 384 रकबा 09 बिस्वा, ख.न. 387 रकबा 03 बिस्वा, ख.न. 388 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 389 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 390 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 391 रकबा 09 बिस्वा, ख.न. 392 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 395 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 400 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 401 रकबा 06 बिस्वा, ख.न. 473 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 474 रकबा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण ने वादी संख्या 03 की दत्तक माता फूलकुंवर से बिना किसी प्रतिफल दिये उनके वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाकर विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 03 के नाम करा लिया। प्रतिवादी संख्या 03 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 03 ने वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को विक्रय कर दी। अतः विधिवत विभाजन न होने तक उक्त आराजी पर किसी तरह का हस्तक्षेप न करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादीगण मौके पर विभाजन कर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहे है। सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। जब तक कि विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इन्च भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक निहित है। वादीगण को कोई असुविधा या हानि या अपूरणीय क्षति नहीं है। अतः सव्यय वाद एवं चाही गई दाद खारिज फरमावें। प्रतिवादीगण द्वारा क्रॉस दावा घोषणा खातेदारी विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में लक्ष्मणसिंह पुत्र किशनसिंह का इन्द्राज गलत किया गया है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में से लक्ष्मण सिंह का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाकर किशनसिंह की पुत्रियां क्रमशः प्रेम कुंवर, गेन्द कुंवर, नवल कुंवर का नाम राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सानुसार अमल दरामद करावें।

इसका प्रतिउत्तर में वादीगण ने अंकित किया है कि वादी संख्या 03 किशनसिंह का दत्तक पुत्र होने से किशन सिंह के निधन के बाद से निरन्तर बेरोक–टोक के शान्तिपूर्वक उनका बेटा होने से काबिज चला आ रहा है। किशनसिंह की बेटियां यदि अपने किसी अधिकार बाबत् दावा करेंगी तब वादीगण उसमें अपना जवाब अलग से पेश करेंगे। प्रतिवादीगण ने विभाजन किये जाने हेतु वाद पेश किया है जिसमें किशनसिंह की तीनों बेटियों को भी हिस्सा दिलाने का क्रॉस वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण का क्रॉस वाद सव्यय निरस्त फरमावें।

दावा व जवाब दावा के आधार पर वाद बिन्दु निम्नानुसार निर्धारित किये गये–

1. आया मोझा शोभजी का गुडा की जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 के खाता संख्या 91 कुल किता 5 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा एवं खाता नं. 93 कुल किता 21 रकबा 11 बीघा वर्णित भूमि वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

   – बजिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 03 के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में प्रतिवादी नं. 01 व 02 प्रवेश नहीं करें न ही उनके नाम इन्तकाल फैसल करावें। इस आशय के रोक जारी कराने के अधिकारी वादीगण है।

   – बजिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण द्वारा अपने वाद में बताया– सजरा अपूर्ण है। इससे वादीगण का यह दावा चलने योग्य नहीं है।

   – बजिम्मे प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

4. आया स्वर्गीय किशन जी की एकमात्र वारीसान तीनों पुत्रियां है। इसलिए 1/2 हिस्सा लक्षमणसिंह के नाम से हटाया जाकर पुनः अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी है।

— बजिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 03 का गलत हिस्सा दर्ज होने से गलत तरिके से हस्तान्तरण नहीं करें। इसलिए वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

— बजिम्मे प्रतिवादीगण

6. दादरसी।

प्रतिवादीगण के उपस्थित न होने पर दिनांक 12.02.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत क्रॉस दावा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतु दिनांक नियत की। साक्ष्य वादी में नवलसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह— लसाडिया, मोहब्बतसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह— लसाडिया, वरदा पिता पूंजा डांगी निवासी शोभजी का गुडा तह— लसाडिया एवं मानसिंह पिता करणसिंह राजपूत निवासी शोभजी का गुडा तह—लसाडिया के शपथ—पत्र प्रस्तुत किये। साक्ष्य में प्रदर्श नं. 01 ग्राम शोभजी का गुडा जमाबन्दी खाता संख्या 91 संवत् 2057—2060, प्रदर्श नं. 02 ग्राम शोभजी का गुडा जमाबन्दी खाता संख्या 93 संवत् 2057—2060, प्रदर्श नं. 03 विक्रय—पत्र विक्रेता मेहताब सिंह पिता गुलाब सिंह द्वारा क्रेतागण अशोक पिता केसरीमल प्रजापत एवं किशनलाल पिता अम्बालाल के पक्ष में निष्पादित प्रस्तुत किये।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड में उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वाद में निर्धारित वाद बिन्दुवार मनन किया।

<u>वाद बिन्दु 01</u> वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने के संबंध में है। प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड में भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में है। अतः सहखातेदारान को उक्त भूमि में दखलन्दाजी करने से पूर्ण रूपेण नहीं रोका जा सकता। वादीगण सहखातेदार होने के कारण वाद बिन्दु 01 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से तय की जाती है।

<u>वाद बिन्दु 02</u> प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में नामान्तरकरण न करने के सम्बंध में है। पत्रावली में पंजीकृत विक्रय—पत्र संलग्न है। विक्रय—पत्र पंजीकृत होने के कारण नामान्तरकरण कार्यवाही रोका जाना उचित नहीं है। अतः वाद बिन्दु 02 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

<u>वाद बिन्दु 03, 04, 05</u> प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने व क्रॉस दावा निरस्त होने से विचार किया जाना उचित नहीं है।

दावा के वाद बिन्दु 01 को वादीगण के पक्ष में आंशित तय करने वाद बिन्दु 02 को वादीगण के विरूद्ध तय करने एवं वाद बिन्दु 03, 04, 05 उभयपक्ष के पक्ष एवं विपक्ष में तय नहीं होने से दावा आंशिक स्वीकार किया जाकर निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम शोभजी का गुडा, तहसील लसाडिया ख.न. 197 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 234 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, ख.न. 330 रकबा 01 बिस्वा, ख.न. 335 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा, ख.न. 386 रकबा 03 बिस्वा, ख.न. 181 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख.न. 182 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 183 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 184 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 185 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख.न. 328 रकबा 02 बिस्वा, ख.न. 329 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 333 रकबा 01 बिस्वा, ख.न. 334 रकबा 06 बिस्वा, ख.न. 384 रकबा 09 बिस्वा, ख.न. 387 रकबा 03 बिस्वा, ख.न. 388 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 389 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 390 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 391 रकबा 09 बिस्वा, ख.न. 392 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 395 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 400 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 401 रकबा 06 बिस्वा, ख.न. 473 रकबा 10 बिस्वा, ख.न. 474 रकबा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से की भूमि पर शांन्तिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी न करें। डिक्री जारी की जावे।

आज दिनांक 03.02.2017 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(के.सी.मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-उदयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official